कार्यालय वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल हरदा

07577 - 222003 07577 - 224224 Email : dfotharda@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./ 7632 हरदा, दिनांक 4/10/18

प्रति,

उप महाप्रबंधक (संस.)
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. हरदा

विषय :– ग्राम राजाबरारी में नवीन 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र निर्माण बाबत।
संदर्भ :– इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/मा.चि./7613 हरदा दिनांक 04.10.2018

---00---

विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र से प्रेषित की गयी संशोधित जानकारी ग्राम राजाबरारी में 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र निर्माण हेतु प्रथम चरण की स्वीकृति निम्न शर्त क्रमांक 01 से 09 में सशर्त प्रदान की जाती है।निम्न शर्तो का वचन पत्र प्रस्तुत करें। ताकि द्वितीय चरण की स्वीकृति दी जा सके। द्वितीय चरण की स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कार्य प्रारंभ किया जावेगा।

1 वनभूमि का स्वरुप परिवर्तन नहीं होगा। वैधानिक रूप से वनभूमि रहेगी।
2 कार्य स्थल का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व सीमांकन किया जावेगा।
3 कार्य स्थल पर कोई भी वृक्ष को क्षति नही पहुंचाई जावेगी।
4 वनक्षेत्र के अन्दर कहीं भी रेत, गिट्टी,मिट्टी,मुरूम एवं ग्रेवल का उत्खनन नहीं किया जावेगा तथा ना ही उपयोग में ली जावेगी।
5 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र निर्माण के प्रस्तावित क्षेत्र में परिवर्तन नहीं किया जावेगा।
6 33/11 के.व्ही. विद्युत उपकेन्द्र निर्माण में उपयोग होने वाली समस्त सामग्री वनक्षेत्र के बाहर से लाई जावेगी।
7 नेट प्रजेन्ट वेल्यु की राशि 2,40,900/–रूपये ई–पोर्टल के माध्यम जमा की जावें। राज्य शासन द्वारा भविष्य में नेट प्रजेन्ट वेल्यु की राशि के संबंध में कोई आदेश जारी किया जाता है तो आवेदनकर्ता इसके लिये बाध्य रहेगा।
8 वनसंरक्षण की दृष्टि से भविष्य में कोई शर्त लगाई जाती है तो मानने के लिए बाध्य रहेगा।
9 [redacted] कार्य की स्वीकृति भूमि पर अधिपत्य वन विभाग का हमेशा रहेगा।

(अनिल के.सिंह)
वन संरक्षक एवं पदेन व.मं.अ.
सामान्य वन मंडल हरदा

पृ0क्र0/मा.चि./ 7633 हरदा, दिनांक 4/10/18

प्रतिलिपि :– 1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(भू.प्रबंध) मध्यप्रदेष भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. मुख्य वनसंरक्षक होशंगाबाद की ओर सूचनार्थ।
3. उप वनमण्डलाधिकारी उत्तर हरदा की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।
4. वन परिक्षेत्र अधिकारी टेमागांव की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है किसी भी स्थिति में वन संरक्षण अधिनियम–1980 का उल्लंघन ना होने पावें।

4/10/18
(अनिल के.सिंह)
वन संरक्षक एवं पदेन व.मं.अ.
सामान्य वन मंडल हरदा